

राजकीय महिला पालीटेक्निक वाराणसी

नीलामी की सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय महिला पालीटेक्निक वाराणसी की भूमि पर स्थित निम्नलिखित पेड़ों की नीलामी संस्था स्तर पर गठित नीलामी समिति की उपस्थिति एवं निर्देशन में दिनांक 24/07/2026 (शुक्रवार) को अपरान्ह 01:30 बजे संस्था परिसर में सम्पन्न किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि एवं स्थान पर नीलामी में भाग लेने हेतु उपस्थित हो।

नीलामी होने वाले पेड़ों का विवरण

क्र०सं०	प्रजाति	गोलाई (सेमी०)	व्यास वर्ग	दशा
1.	पीपल	205	60-70	हरा, खड़ा, नाकाबिल
2.	नीम	93	20-30	हरा, खड़ा, नाकाबिल
3.	नीम	78	20-30	दूठा, हरा, खड़ा
4.	नीम	110	30-40	हरा, खड़ा, नाकाबिल
5.	नीम	115	30-40	हरा, खड़ा, नाकाबिल
6.	नीम	110	30-40	हरा, खड़ा, काबिल

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी में भाग लेने वाला व्यक्ति रु० 1000/- की जमानत राशि ड्राफ्ट प्रधानाचार्य राजकीय महिला पालीटेक्निक वाराणसी के नाम अथवा नगद जमा करने के पश्चात् ही नीलामी में भाग ले सकते हैं। जमानत राशि नीलामी के बाद वापस कर दी जायेगी।
2. नीलामी प्राप्तकर्ता व्यक्ति को पेड़ काटने के पश्चात् उससे सम्बन्धित सभी अवशिष्ट कैम्पस परिसर से अपने खर्च पर हटाना होगा अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी जमानत राशि से अवशिष्ट हटाने का कार्य करा लिया जायेगा।
3. सबसे ऊंची बोली बोलने वाले के पक्ष में नीलामी स्वीकृत की जायेगी।
4. नीलामी प्राप्तकर्ता व्यक्ति को तीन दिन के अन्दर उपरोक्त पेड़ काट कर हटा लेना होगा।
5. नीलामी प्राप्तकर्ता व्यक्ति को वन विभाग से आवश्यक परमिट स्वयं प्राप्त करना होगा।
6. पेड़ काटने में यदि संस्था परिसर में स्थित भवन को कोई क्षति होती है तो उसकी मरम्मत नीलामी प्राप्तकर्ता को तत्काल करनी होगी।
7. नीलामी में भाग लेने वाला व्यक्ति आधार कार्ड एवं पैन कार्ड के साथ उपस्थित होंगे।
8. नीलामी प्राप्तकर्ता व्यक्ति यदि उपरोक्त बिन्दु 01 से 07 तक की शर्तों को मानने में असफल रहता है तो कटे पेड़ ले जाने से रोका जा सकता है।

प्रधानाचार्य

कार्यालय: प्रधानाचार्य राजकीय महिला पालीटेक्निक वाराणसी

पृ०सं० 601-607/नीलामी/2026-27/ वाराणसी दिनांक 17/07/2026

- प्रतिलिपि: 1. कार्यालय जिलाधिकारी वाराणसी के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
2. कार्यालय पुलिस अधीक्षक वाराणसी के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
3. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
4. प्रधान सम्पादक समस्त स्थानीय समाचार पत्र को समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
5. जिला सूचना अधिकारी वाराणसी को पत्रों में प्रकाशन हेतु।
6. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वाराणसी वन प्रभाग वाराणसी के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
7. संस्था की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रधानाचार्य

राजकीय महिला पालीटेक्निक
वाराणसी